

संख्या:- प्राविधि/परिषद् सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

## कार्यालय जाप:-

अधिकारी भारतीय साक्षीणी शिक्षा परिषद्, नहु दिल्ली/कामेसी काउन्सिल औफ डिपिड्या, नहु दिल्ली द्वारा दीर्घीक सत्र 2022-23 हेतु डिम्बोमा रूतीय ताक्षीणी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उपरा लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक:- 30/08/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित नहु सम्बद्धता को सम्बद्धता पूर्व संवालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/परेश कामता बृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मे निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उपरा लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु लिम्नाक्षित शती के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकिञ्च परेश कामता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1286-SHREE SAI COLLEGE OF PHARMACY

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ०सी०टी०ई० यी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परेश कामता	परिषद् द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित परेश कामता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ०सी०टी०ई०/यी०सी०आई० द्वारा नियमित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर नियमित शासनादेशी का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियोगण समिति द्वारा नियोगित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त ऊपराहात्राओं से शुल्क के समय-समय पर शासन द्वारा नियमित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कारबाही किया जाना आवश्यक होगा। यीसु नियोगण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्नियोगण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ सस्था न संयुक्त प्रवेश पराला पारिषद द्वारा आवादत जाने का हो प्रवध दिया जायगा।
- ✓ सस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ सस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा उपर्योग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपर्योग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपर्योग टूटारा चलाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का प्राप्तन करने के लिये बाध्यकारी हैं।
- ✓ यदि सस्थान का ए0आड०सी०टी०ड०पी०सी०आड० से अनुमोदन मिरस्त किया जाता है तो इस सबध में समस्त उत्तरदायित्व सस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए सस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विनष्ट यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के सबध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की पतिष्ठति सबधी अपेक्षा निर्गत किया जाता है तो समस्त पतिष्ठति समीक्षित सस्था की करनी होगी।
- ✓ सस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग पारम्परामें के पूर्व ए0आड०सी०टी०ड०पी०सी०आड० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय का उपलब्ध भराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के नाम्बर से प्रवेश परीक्षा के आधार पर)सी०प्रदेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेश नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ सस्था को अपने वेबसाइट पर सस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे सस्था की ऐलाइसिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्ति नियम जाने वाला शुल्क, छाकावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ सस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोनिं रोक्स के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक दबावस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ सस्था यह सुनिश्चित हो ले कि सस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को घलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभियेक, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि सस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि सस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य जारी के लिए कर रही है तो तत्काल सस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सस्था के आधिक व्यवस्था निरीक्षण के दौरान यदि सस्था में भूमि, अवन, प्रयोगालय, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आड०सी०टी०ड०पी०सी०आड०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो सस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता जाती का अनुपालन न किये जाने अथवा जाती का उल्लंघन किये जाने की हिति में नियमानुसार अनुशासनालम्बक कार्यवाही की जाएगी।

(एफ0आर0 खान)

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SHREE SAI COLLEGE OF PHARMACY

(एकोआरो खान)

सचिव

WILLIAM,  
Postmaster, Post office,

高教出版社

— 10 —

The right would have been at their mother's disposal for fifteen or twenty years by that time, unless there should be sufficient time for one or more children from other wives to grow up. The first son of the former wife would be the heir to his estate if he died before his wife, and if he died after her he would be succeeded by his son.

It is now a major concern of the UN to find a way to reduce the number of refugees and to help those who remain.

प्राप्ति नं. मा.	प्राप्ति का वर्ष	प्राप्ति का विवरण क्रमीय संख्या वा दस्तावेज़ का नाम	विवरण का लिखा गया
136	१९६५-६६	प्राप्ति का विवरण क्रमीय संख्या वा दस्तावेज़ का नाम	प्राप्ति का विवरण क्रमीय संख्या वा दस्तावेज़ का नाम

卷二

#### ANSWER

ISSN 1062-1024 • 116

卷之三

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (314) 747-2146 or via email at [mhwang@dfci.harvard.edu](mailto:mhwang@dfci.harvard.edu).

四百三

## कार्यालय, संसिध्. प्राणिविक लिपा परिषद्. लिपारत् पदे शा लिपानके।

સાધુના - પત્રિકા / માર્ગદર લાખેલા / 2020 / 1071

开码时间: 2020-09-15 09:20:20

— ४०५ —

वर्तित सारांश एवं दोनों शिक्षा परिषद् नई दिल्ली/प्रदेशी कारबिला और इमिग्रेशन वर्ष दिल्ली द्वारा दिए गए अधिकारों के बाहरी तथा दोनों शिक्षा प्रणाली को असुधारन प्रयाप्त किए जाने के सम्बन्ध में उल्लंघन किया जाता है। अधिकारों की अनुदाता/अनुदाता विभाग द्वारा किए गए नई दिल्ली 19-वीं शताब्दी के दौरान एकाधिक रिकार्ड जीवन वास्तु विविधता की अवधारणा व उत्तराधिकार से बोक़ा तथा बहुत हुई। ऐसा न रहने वाले अधिकारों के अनुदाता/कुटुंब सम्बन्धों को सम्बद्ध/कुटुंब से सम्बन्धित संस्कारों की असम्भवता/असम्भव/जड़ते कामों तुम्हे चरित अन्य गांधी जी के विचार को दूष अधिकारों की अवधारणा की विवरण देता है।

जल के नियम व अधिकारी अधिकारी जी बैठक के दूसरे दिन विभिन्न इस विषय के विवरण और उनके अधिकारी विवरण देते हुए एक संक्षिप्त विवरण दिया गया। लगभग अधिकारी इस विषय पर विवरण दिया गया।

‘मिशन सीए न सामग्रिक विभाग द्वारा घोषित योजनाकाम संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्राइवेट फैसले वित्ती व्यवस्थाएं से पूर्ण रूप साकृति से एक वर्ष 2020-21 तेजु वीकल्पिकार्ड द्वारा कर्त्ता सामग्री व्यवस्था विभाग किया गया है। इन संस्थाओं ने वीकल्पिकार्ड द्वारा प्रदान किये गये अपवाहन विभाग के अनुसार वापर का सामग्री व्यवस्था विभिन्न व्यापक/प्रवेश सम्पत्ति के साथ वर्ष 2020-21 तेजु फौटोफोट द्वारा विभाग प्रदान किये गये वापर का समिति द्वारा विभाग किया गया एवं सांगाचारि से वीकल्पिकार्ड द्वारा उदास व्यवस्था विभाग (व्यवस्था) के अनुकूल है। वर्ष 2020-21 तेजु फौटोफोट द्वारा विभाग द्वारा जारी किया गया।

दिनांक 14-06-2020 की अपेक्षा जानकारी लेखनीय संसद में दिया गया अधिकारी विभाग के अनुक्रम में इसका विवरण निम्नांकित है।

क्रम संख्या	प्राप्ति कोड	प्राप्ति का नाम	प्राप्ति का वर्ग	प्राप्तिका दृष्टि नंबर 2020-21 ते अग्रिम प्रतिक्रिया दृष्टि नंबर	प्राप्तिका दृष्टि नंबर 2020-21 ते अग्रिम प्रतिक्रिया दृष्टि नंबर
1	100	वी. वार्षिक अधिकारी कालीन देश सरकार के द्वारा देश भर में विभिन्न विभागों द्वारा देश	प्राप्ति का वर्ग	प्राप्ति का दृष्टि नंबर 2020-21 ते अग्रिम प्रतिक्रिया दृष्टि नंबर	प्राप्ति का दृष्टि नंबर 2020-21 ते अग्रिम प्रतिक्रिया दृष्टि नंबर

新編卷之三

एक अवधि का प्रयोग करने वाली दाता एवं वार्ष 2010-11 तक इसका उपयोग किया गया है।



ANSWER

周易解卦-易经卦象/易经卦数/易经卦辞/易经卦义/易经卦象

第十一章

